

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत कालीन उद्योग नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

कार्यालय के पत्र संख्या-1506-14 प्रवर्तन-(एम0डब्लू0)/15 दिनांक: 20-10-2020 द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा सं0-801/36-3-2013-79(न्यू0वे0)/07 दिनांक: 25-07-2013 द्वारा कालीन उद्योग के नियोजन में नियोजित कर्मचारियों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता का निर्धारण करते हुए आदेश निर्गत किया गया था जिसके कालम-4 में टंकण की त्रुटि को संशोधित करते हुए संशोधित आदेश निर्गत किया जा रहा है। मजदूरी दरें मासिक आधार पर निकाली गयी हैं, जिसकी दैनिक दर मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के योग 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दर, दैनिक दर का 1/8 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में कालीन उद्योग के नियोजन में(मात्रानुपाती श्रमिकों को छोड़कर) नियोजित कर्मचारियों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2001=100)के जुलाई 2010 से दिसम्बर 2010 के 329 अंको के ऊपर जनवरी, 2020 से जून 2020 तक के औसत अंक 329 अंको पर दिनांक: 01-10-2020 से दिनांक: 31-3-2021 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय है:-
दृष्टान्त:-रूपये 4500.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत मूल्य सूचकांक 329 पर दिनांक: 1.10.2020 से दिनांक: 31.3.2021 तक देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित होगा:-

(329-181)

—X 4500=3680 प्रतिमाह

181

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रति माह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की दरें निम्नवत हैं:-

क्रमंक	शासनादेश वर्ष 1995 के अनुसार श्रेणियाँ	वर्तमान में संशोधित श्रेणियाँ	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये में	प्रतिमाह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता रूपये में		दिनांक: 1.10.2020 से दिनांक: 31.3.2021 तक	
				दिनांक: 1.4.2020 से दिनांक: 30.9.2020 तक	दिनांक: 1.10.2020 से दिनांक: 31.3.2021 तक	प्रतिमाह कुल मजदूरी दरें,(रूपये में)	दैनिकमजदूरी दरें,(रूपये में)
1	अकुशल	अकुशल	4500.00	3555.25	3680	8180	314.61
2	अर्द्ध-कुशल	अर्द्ध-कुशल	5000.00	3950.28	4088	9088	349.54
3	कुशल-क	कुशल	5400.00	4266.30	4415	9815	377.50
4	कुशल-ख	कुशल	5300.00	4187.29	4334	9634	370.53
5	कुशल-ग	कुशल	5200.00	4108.29	4252	9452	363.53
6	अतिकुशल	कुशल	5500.00	4345.30	4497	9997	384.50
7	लिपिक-1	कुशल	5400.00	4266.30	4415	9815	377.50
8	लिपिक-2	कुशल	5100.00	4029.28	4170	9270	356.53

(डी0 के0 सिंह)

अपर श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर।

संख्या 1513 प्रवर्तन-(एम0डब्लू0)/15

दिनांक 22/10/2020

- समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करायें श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा माँगे जाने पर उपलब्ध कराएँ।
- अनुसचिव उ0प्र0शासन, श्रम अनुभाग-3, लखनऊ।
- सहायक निदेशक,श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,(वेज सेल) भारत सरकार नई ई-मेल wagecell@nic.in के माध्यम से
- अधिशाली निदेशक उद्योग बंधु लखनऊ।
- उप श्रम आयुक्त,(आई0 आर0), मुख्यालय, कानपुर।
- अपर श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कोई ई-मेल के माध्यम से प्रेषित
- विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
- श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।
- समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क प्रकाशनार्थ।

(डी0 के0 सिंह)

अपर श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।